न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 31-01-24 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0
पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
55/2022	16/08/2022	31.01.2024

बउनवान :–

01. ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्री बनेसिंह
02. विजयसिंह पुत्र श्री बनेसिंह
03. सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री बनेसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

––––:: प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब (बहैसियत लेण्ड होल्डर) तिजारा तहसील तिजारा जिला – खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

–––––:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा सं. 211 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, आराजी खसरा सं. 214 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा सं. 215 रकबा 0.1000 हैक्टेयर वाके ग्राम भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) मे स्थित है। वास्ते मुलाहिजा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त आराजी की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हम प्रार्थीगण के नाम को दर्ज करते समय प्रार्थी सं. 1 का नाम ब्रह्मप्रकाश की जगह पर ब्रह्मसिंह पुत्र बनेसिंह, प्रार्थी सं. 2 का नाम विजयसिंह की जगह बिल्लूराम पुत्र बनेसिंह एवं प्रार्थी सं. 3 का नाम सुरेन्द्रसिंह की जगह सुन्दरलाल पुत्र बनेसिंह पटवारी हल्का द्वारा सहबन से प्रार्थीगण के घर के बोलते नाम को दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की हाल जमाबंदी में प्रार्थीगण के गलत नाम का अंकन हो रहा है, जो अंकन गलत हो रहा है, जो सरासर गलत है, जिनको हजफ किया जाकर ब्रह्मसिंह पुत्र बनेसिंह के स्थान पर प्रार्थी सं. 1 का सही नाम ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्री बनेसिंह, बिल्लूराम पुत्र बनेसिंह के स्थान पर प्रार्थी सं. 2 का सही नाम विजयसिंह पुत्र श्री बनेसिंह एवं सुन्दरलाल पुत्र बनेसिंह के स्थान पर प्रार्थी सं. 3 का सही नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री बनेसिंह राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाना आवश्यक, उचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी सं० 1 का सही नाम ब्रह्मप्रकाश, प्रार्थी सं. 2 का सही नाम विजयसिंह एवं प्रार्थी सं. 3 का सही नाम सुरेन्द्रसिंह, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में दर्ज है। आधार कार्ड की फोटोप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयात में प्रार्थीगण के गलत नाम के स्थान पर प्रार्थीगण का सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। हम प्रार्थीगण ने [illegible] नकल जमाबन्दी हॉसिल की तो उक्त गलत अंकन का ज्ञान हुआ, जिस पर हम प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थी व उसके कर्मचारीयो से राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण का गलत नाम हजफ कर सही नाम का अंकन करने के लिए निवेदन किया तो अपार्थी व उसके कर्मचारियो ने प्रार्थीगण के गलत नामों को हजफ करने से इन्कार कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त खसरा नम्बर 211 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, आराजी खसरा सं. 214 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा सं. 215 रकबा 0.1000

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

हैक्टेयर वाके ग्राम भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के गलत नामों को हजफ किया जाकर ब्रह्मसिंह पुत्र बनेसिंह के स्थान पर प्रार्थी सं. 1 का सही नाम ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्री बनेसिंह, बिल्लूराम पुत्र बनेसिंह के स्थान पर प्रार्थी सं. 2 का सही नाम विजयसिंह पुत्र श्री बनेसिंह एवं सुन्दरलाल पुत्र बनेसिंह के स्थान पर प्रार्थी सं. 3 का सही नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री बनेसिंह अंकित किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया है प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जवाव प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर खसरा नम्बर 211 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, आराजी खसरा सं. 214 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा सं. 215 रकबा 0.1000 हैक्टेयर वाके ग्राम भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) में प्रार्थीगण का नाम शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, आराजी खसरा सं. 214 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा सं. 215 रकबा 0.1000 हैक्टेयर वाके ग्राम भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ब्रह्मसिंह पुत्र बनेसिंह के स्थान पर ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्री बनेसिंह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम बिल्लूराम पुत्र बनेसिंह के स्थान पर विजयसिंह पुत्र श्री बनेसिंह एवं प्रार्थी संख्या 3 का नाम सुन्दरलाल पुत्र बनेसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री बनेसिंह शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

आदेश सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:34 IST
Reason: SelfAttested